न्यायालय जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

निगरानी संख्या– 11/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/172

निगरारीकार	बनाम	गैरनिगरानीकार
ग्राम पंचायत कुन्डरी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कुन्डरी तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन।		प्रभूराम पुत्र श्री रखेमाराम जति जाट निवासी मानपुरा ग्राम पंचायत कुन्उरी तहसील परवतसर जिला डीडवााना–कुचामन।

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 विरूद्ध ग्राम पंचायत कुन्डरी द्वारा जारी पट्टा संख्या 37 बुक संख्या 25 दिनांक 20.10.2021

उपस्थितः–
1. श्री सुरेन्द्र पुरी वकील निगरानीकार की ओर से।
2. श्री महावीर प्रजापत वकील गैरनिगरानीकार की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांक : 11.03.2025

निगरानीकार की ओर से निगरानी के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है कि :–

1. याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत कुन्डरी का सरपंच के पद पर है तथा दिनांक 20.10.2021 को चुनौतिग्रस्त पट्टा विलेख जारी किया गया है दिनांक 20.10.2021 ग्राम पंचायत कुन्डरी में प्रशासन गांवों के संग कैम्प में 59 पट्टे जारी किये गये थे जिसमें से एक पट्टा संख्या 37 वुक संख्या 25 मिसल संख्या 18 के जारी किया था। उक्त पट्टा मेरी अध्यक्षता मे जारी किया गया था। उक्त पट्टा पंचायती राज अधिनियम की धारा 47 के विरूद्ध था इसलिये उक्त पट्टे को निरस्त करने की कार्यवाही किया जाना लाजिम आया है निगरानीकर्ता उक्त याचिका प्रस्तुत करने को सक्षम है।
2. उक्त पट्टा व इसके परताव को निरस्त करना जरूरी होने से यह प्रार्थना पत्र पेश करना जरूरी आया है क्योंकि चुनौतिग्रस्त पट्टा ... विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.12 13:52:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

3. निगरानीकर्ता द्वारा उक्त पट्टे की जाँच किये जाने से पाया गया कि पट्टा नियम विरूद्ध जारी हो गया है यह निगरानी पेश करने में हुई देरी की माफी हेतु अलग से मियाद अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत हैं।

अतः निगरानी याचिका प्रस्तुत कर निवेदन है कि याचिकाकर्ता की निगरानी याचिका स्वीकार कर दिनांक 20.10.2021 को ग्राम पंचायत कुन्डरी द्वारा संकल्प संख्या 02 बुक संख्या 25 में जारी चुनौतिग्रस्त पट्टा संख्या 37 रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया को अपास्त फरमावें।

बहस सुनी गई। वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त पट्टा विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किया जावें।

प्रकरण में विकास अधिकारी पंचायत समिति परबतसर से जांच रिपोर्ट ली गई। विकास अधिकारी पंचायत समिति परबतसर के पंत्राक पसप/संस्था/2025/62 दिनांक 28.02.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। विकास अधिकारी पंचायत समिति परबतसर की रिपोर्ट अनुसार जांच कमेटी द्वारा दिनांक 03.6.2024 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त जांच रिपोर्ट को पंचायत समिति परबतसर के पंत्राक 2292 दिनांक 03.06.2024 को अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद डीडवाना–कुचामन को प्रेषित की गई। साथ ही लोकायुक्त सचिवालय में प्रस्तुत शिकायत की जांच हेतु गठित जांच कमेटी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर पंत्राक 3504 दिनांक 24.09.2024 को जांच रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नागौर को प्रेषित की गई। प्रस्तुत जांच रिपोर्टों में सरपंच द्वारा अपने पिता के नाम से पट्टा जारी किया जाना पाया गया है। जिसमें राजस्थान पंचायतराज नियम 1996 के नियम 47 की पालना का अभाव पाया गया। साथ ही उक्त भूखण्ड का व्यवसायिक उपयोग होने के कारण पट्टा डीएलसी दर की दुगुनी दर से जारी किया जाना था लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा मात्र 200/– रूपये में उक्त पट्टा जारी किया गया है। जिससे राजकोष में 15824/– रूपये की हानि मानते हुए जांच कमेटी ने सरपंच श्री लक्ष्मणराम डूडी व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र चौधरी को दोषी मानते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त प्रकरण की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी हैं जिसमें अन्तिम निर्णय प्राप्त होने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही [illegible] कर दी जावेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.12 13:52:14 IST
Reason: SelfAttested

बहस के तर्को पर [illegible] रेकर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] है कि उक्त पट्टा में राजस्थान पंचायतराज नियम 1996 के नियम 47 की पालना का अभाव पाया गया तथा उक्त

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

पट्टा विधि विरूद्ध जारी किया गया है। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत कुण्डरी द्वारा दिनांक 20.10.2021 को संकल्प संख्या 02 बुक संख्या 25 में जारी पट्टा संख्या 37 को निरस्त किया जाता है। उक्त आदेश का सरपंच व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध जारी जांच पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं रहेगा।

आदेश आज दिनांक 11.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.12 13:52:14 IST
Reason: SelfAttested